

मांग संख्या 34
मुख्य शीर्ष 2235

मद क्रमांक 1

निःशक्त व्यक्तियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उत्थान सब्सिडी योजना लागू करने हेतु राशि रूपये 15.00 लाख का व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु नवीन मद के रूप में रूपये 15,00,000 का प्रावधान किया गया है।

मद क्रमांक 2 से 5

प्रमस्तिष्क अंगाघात (सेरेबल पालिसी) के निःशक्तजनों के लिए उपचार एवं पुनर्वास संस्थान की स्थापना हेतु मशीन क्रय एवं अमले के वेतन भत्ते एवं अन्य आकस्मिक व्यय हेतु रूपये 450.00 लाख का व्यय संभावित है।

पदों का विवरण निम्नानुसार है :-

क्रमांक	पदनाम	वेतनमान	संख्या
1	बायोइंजीनियर	15000/- एकमुश्त	02
2	फिजियोथैरेपिस्ट	15000/- एकमुश्त	02
3	ऑक्युपेशनल थैरेपिस्ट	15000/- एकमुश्त	02
4	ऑर्थोपेडिक सर्जन	400/- प्रति दौरा	01
5	सॉफ्टवेयर स्पेशलिस्ट	10000/- एकमुश्त	02
6	नर्सिंग स्टाफ	5000/- एकमुश्त	02
7	प्रशासनिक अधिकारी	15000/- एकमुश्त	01
8	लेखापाल	5000/- एकमुश्त	01
9	सहायक	4000/- एकमुश्त	01
		योग	14

अतः इस प्रयोजन हेतु नवीन मद के रूप में रूपये 4,50,00,000 का प्रावधान किया गया है।

मद क्रमांक 6

वरिष्ठ नागरिकों की सहायता हेतु राशि रूपये 25.00 लाख का व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु नवीन मद के रूप में रूपये 25,00,000 का प्रावधान किया गया है।

मद क्रमांक 7

नवीन जिला बीजापुर में एक नग वाहन क्रय करने हेतु राशि रूपये 500 लाख का व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु नवीन मद के रूप में रूपये 5,00,000 का प्रावधान किया गया है।

मद क्रमांक 8

राज्य के प्रत्येक जिले में सामर्थ्य विकास मेले का आयोजन करने एवं निःशक्त व्यक्तियों के लिए शिविर आयोजित करने हेतु क्रमशः राशि रूपये 18.00 लाख एवं रूपये 60.00 लाख का व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु नवीन मद के रूप में रूपये 78,00,000 का प्रावधान किया गया है।

मद क्रमांक 9 से 12

किशोर न्याय अधिनियम, 2000 की धारा 34 के अंतर्गत रायपुर में बालगृह की स्थापना करने एवं अमले के वेतन भत्ते व अन्य आकस्मिक व्यय हेतु राशि रूपये 12.98 लाख का व्यय संभावित है।

पदों का विवरण निम्नानुसार है :-

क्रमांक	पदनाम	वेतनमान	संख्या
1	अधीक्षक	6500-10500	01
2	काउन्सलर	4500-7000	02
3	हाउस मास्टर	4000-6000	02
4	शिक्षक	4000-6000	02

5	बहुउद्देशीय प्रशिक्षक	4000-6000	02
6	सहायक वर्ग-2	4000-6000	01
7	सहायक वर्ग-3	3050-4590	01
8	भृत्य	2550-3200	01
9	रसोइया	2550-3200	01
10	हल्पर	2550-3200	01
11	चौकीदार	2550-3200	02
12	कंयर टकर	2550-3200	02
13	स्वीपर	2550-3200	01
14	चिकित्सक अंशकालीन	2000/- प्रतिमाह	01
15	संगीत शिक्षक	कलेक्टर दर	01
16	माली	कलेक्टर दर	01
		योग	22

अतः इस प्रयोजन हेतु नवीन मद के रूप में रूपये 12,98,000 का प्रावधान किया गया है ।

मांग संख्या 41
मुख्य शीर्ष 2235

मद क्रमांक 1 से 4

नवीन जिला बीजापुर एवं नारायणपुर में बौद्धिक मंदता वाले बालक/बालिकाओं के लिए विशेष विद्यालय की स्थापना हेतु राशि रुपये 30.00 लाख का व्यय संभावित है ।

पदों का विवरण निम्नानुसार है :-

क्रमांक	पदनाम	वेतनमान	नारायणपुर	बीजापुर
1	अधीक्षक	8000-13500	01	01
2	प्रशिक्षित शिक्षक	4500-7000	04	04
3	व्यावसायिक प्रशिक्षक	4000-6000	01	01
4	सहायक ग्रेड-2 सह भंडार लिपिक	4000-6000	01	01
5	भृत्य	2550-3200	01	01
6	रसाइया	2550-3200	01	01
7	आया	2550-3200	01	01
8	स्वच्छक	2550-3200	01	01
9	चौकीदार	2550-3200	01	01
		योग	12	12

अतः इस प्रयोजन हेतु नवीन मद के रूप में रुपये 30,00,000 का प्रावधान किया गया है ।

मांग संख्या 64
मुख्य शीर्ष 2235

मद क्रमांक 1 से 4

अंधे, बहरे तथा गूंगे व्यक्तियों के लिए शालाएँ तथा संस्थाएं के अन्तर्गत वेतन भत्ते एवं अन्य आकस्मिक व्यय हेतु राशि रू. 15.00 लाख का व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु नवीन मद के रूप में रूपये 15,00,000 का प्रावधान किया गया है ।